सं. 16017/4/2009-जीपी

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 जून, 2010

<u>आदेश</u>

गाजियाबाद के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को प्राधिकार देने के मुद्दे के संबंध में आईजीएल के अनुरोध तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की रिपोर्ट और सिफारिश की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्लूपी (सी) नं.9022/2009 और डब्ल्यूपी (सी) नं.8415/2009 में पारित दिनांक 21.01.2010 के आदेश, के साथ-साथ 2010 की एसएलपी (सी) नं.5408 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) नं.7770 / 2010 में पारित दिनांक 15.03.2010 के स्पष्टीकरण आदेश की जांच की गई है। जहां तक वर्तमान कानूनी स्थिति का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को प्राधिकरण देने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति के बारे में बोर्ड के अनुमान से पूर्व की स्थिति बनी रहेगी, जिसका अर्थ है कि शक्तियां मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय में निहित होंगी और प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान नहीं हो सकता।

2. गाजियाबाद के मुद्दे ने क्षेत्र में तेजी से होने वाले विकास के साथ-साथ इसके पूर्वी दिल्ली के नजदीक होने के कारण यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए गतिविधियों का केंद्र माना जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत ईपीसीए को केंद्रीय सरकार की शक्तियां दी गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ईपीसीए के निर्देश अंतिम और संबंधित सभी व्यक्तियों और संगठनों पर बाध्यकारी हैं। ईपीसीए ने आईजीएल को पीजीजीआरबी अधिनियम, 2006 के शुरू होने से पहले गाजियाबाद में सीजीडी गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया था। इसलिए, गाजियाबाद में सीजीडी गतिविधियां करने के लिए ईपीसीए के दिशा-निर्देश को केंद्र सरकार का निर्देश माना किया जाएगा, हालांकि एमओपीएनजी की आईजीएल को पूर्व में दिया गया प्राधिकार दिल्ली, नोएडा (गौतम बुद्धनगर), गुड़गांव और फरीदाबाद तक सीमित था।

4. इसके अतिरिक्त, आईजीएल ने पहले ही ईपीसीए के निर्देशों पर कार्य कर दिया है और पाइपलाइन बिछा दी है, सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं, भूमि अधिग्रहीत की है और गाजियाबाद में पहले से ही व्यय किया है / प्रतिबद्ध व्यय किया है। वर्तमान में आईजीएल गाजियाबाद में तीन सीएनजी स्टेशन संचालित कर रहा है और इनसे सीएनजी वितरित की जा

रही है। इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि आईजीएल द्वारा आठ सीएनजी स्टेशन तैयार किए गए हैं और केवल लाइसेंस जारी करने का ही इंतजार हैं, अन्य सात सीएनजी स्टेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और अन्य छह सीएनजी स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है; कुल मिलाकर, वर्तमान वर्ष के अंत में 24 सीएनजी स्टेशनों द्वारा सीएनजी वितरित किए जाने की उम्मीद है। यह भी सूचित किया जाता है कि आईजीएल ने 331 कि.मी. लंबी इस्पात और एमडीपीई पाइपलाइन बिछाई है और 985 किलोमीटर इस्पात और एमडीपीई पाइपलाइन का कार्य शुरू किया गया है।

5. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के लिए आईजीएल को अधिकृत किया गया है। पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच भौगोलिक सामंजस्य होने के कारण, आईजीएल इन क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क को एक एकीकृत परियोजना के रूप में एक सामान्य नगर गेट स्टेशन और स्टील ट्रंक पाइपलाइन के साथ कार्यान्वित कर रहा है। आईजीएल को पूर्वी दिल्ली में सीजीडी गतिविधियों का विस्तार करना है ताकि पूर्वी दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए गतिविधियों का केंद्र बन सके। जहां तक पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र का संबंध है, आईजीएल द्वारा सीएनजी की आपूर्ति गेल की दादरी-डीईएसयू ट्रंक पाइपलाइन में क्षमता की कमी है। इस समस्या का समाधान गेल द्वारा निर्मित नई दादरी-बावाना पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करके किया जा रहा है। इससे गैस प्राप्त करने के लिए, आईजीएल स्टील पाइपलाइन को गाजियाबाद शहर से होते हुए बिछाने और पूर्वी दिल्ली में विस्तार कर रही है। इसलिए, पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद की भौगोलिक संगतता को देखते हुए पाइपलाइन का गाजियाबाद में पूर्वी दिल्ली तक विस्तार करने की आवश्यकता सार्वजनिक हित में होगी कि गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली में सीजीडी नेटवर्क को एक एकीकृत परियोजना के रूप में विकसित किया जाए। सिटी गेट स्टेशन और स्टील ट्रंक पाइपलाइन, जो गाजियाबाद गैस के साथ ही पूर्वी दिल्ली की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, गाजियाबाद में सीएनजी की सुविधा का लक्ष्य एनसीआर के लिए पारस्परिक सामान्य परिवहन व्यवस्था का विकास करना है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से सीएनजी पर चलाया जाएगा। उपर्युक्त तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि एक सामान्य कंपनी पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद में सीजीडी गतिविधियों का संचालन करे।

6. उपरोक्त के आधार पर, आईजीएल गाजियाबाद के भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सीजीडी नेटवर्क लगाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए एक 'अधिकृत कंपनी' है। आईजीएल पीएनजीआरबी के विभिन्न नियमों से बंधी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की प्रतिबद्धताएं, नेटवर्क टैरिफ, तकनीकी मानक और विशिष्टयां, सुरक्षा मानकों, सेवा मानकों की गुणवत्ता आदि शामिल है।

7. इसके अलावा, आईजीएल को पूर्वी दिल्ली में सीजीडी नेटवर्क के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी गतिविधियों के कारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर विस्तार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद में सीएनजी सुविधाएं एनसीआर के लिए एक पारस्परिक सामान्य

परिवहन व्यवस्था में आने के लिए शीघ्रता से विकसित होनी चाहिए, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से सीएनजी पर चलेंगे।

हस्ता./-
(मनु श्रीवास्तव)
निदेशक

सेवा में:

आईजीएल

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण को उनके दिनांक 11 मार्च 2010 के अ.शा. पत्र के संदर्भ में
सचिव, पीएनजीआरबी
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 15 मार्च, 2010 के अ.शा. पत्र के संदर्भ में।